राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर

कमांक एफ 8( )/आ0कृ0/जउप्र/पाईप पंजी/10–11/1111 0　　　　दिनांक : 27/6/10

अभिरूचि की अभिव्यक्ति

वर्ष 2010–11 के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन अंतर्गत राज्य के कृषकों को अनुदान पर सिंचाई पाईपलाइन उपलब्ध कराए जाने हेतु प्रतिष्ठित निर्माताओं के पंजीकरण हेतु अभिरूचि की अभिव्यक्ति आमंत्रित की जाती है। पंजीयन की शर्ते निम्न प्रकार से हैः–

1. सिंचाई पाईपलाइन पंजीकरण हेतु निर्माता के पास बी.आई.एस/आई.एस.आई. प्रमाण पत्र होना आवश्यक है ।
2. पूर्व में पंजीकृत समस्त निर्माताओं को नये सिरे से पंजीयन कराना अनिवार्य होगा ।
3. पंजीयन शुल्क के रूप में राशि रूपये 10,000/– प्रति आवेदक आयुक्त कृषि के पक्ष में बैंकर चैक/डी0डी0 के माध्यम से आवेदन पत्र के साथ देय होगा जो किसी भी स्थिति में वापस नहीं लौटाया जायेगा ।
4. पंजीकरण प्रकिया वर्ष भर चालू रहेगी तथा किसी भी तिथि को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा । पंजीकरण की वैधता एक वर्ष अथवा बी.आई.एस. प्रमाण पत्र की वैधता अवधि जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगी । पंजीकरण एक वर्ष के लिए मान्य होगा लेकिन आवश्यकतानुसार अवधि बढ़ाई जा सकती है ।
5. यह विभाग के द्वारा क्रय नहीं है । अपितु निर्माताओं के नेटवर्क के माध्यम से कृषकों को विभागीय अनुदान एवं अन्य कार्यक्रमों के अंतर्गत भागीदारी के अधीन कृषकों को गुणवत्ता एवं उचित दर पर पाइपों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु योग्य निर्माताओं के लिए पंजीयन प्रकिया है ।
6. इच्छुक निर्माता/कम्पनियां उप निदेशक कृषि (सांख्यिकी) एवं आहरण वितरण अधिकारी, कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर को राशि रूपये 100/– का भुगतान नकद या डी0डी0 द्वारा करते हुए निर्धारित आवेदन पत्र, विस्तृत नियम एवं शर्ते संयुक्त निदेशक कृषि (शष्य) जल उपयोग प्रकोष्ठ, कृषि आयुक्तालय, राज0 जयपुर कमरा नं0 121 से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते है ।
7. पंजीयन प्रकिया विभाग के द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत होगी । यह अभिरूचि की अभिव्यक्ति तब तक प्रभावी रहेगी जब तक अन्यथा कोई दूसरी अभिरूचि जारी नहीं हो जाती ।

आयुक्त कृषि